न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 19/2014

हनीसा उर्फ अनीसा पत्नि साहून पुत्री भुरू जाति मनेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम रायपुर तहसील सीकरी । वादनी

बनाम

1. जुम्मी पत्नि भुरू
2. खुर्शीद
3. रजाक पिसरान भुरू
4. खुर्शीदन
5. सरियम
6. वरिसा पुत्रीयान भुरू जाति मेव निवासी छपरा तहसील पहाडी
7. बसकारी पत्नि कासम जाति मेव निवासी ऊघन तहसील कामाँ

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादनी

दिनांक :– 17/01/2022

निर्णय

वादनी द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट इस आशय के साथ पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1180/0.42, 642/0.25, 1422/0.61, 662/0.92 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी में स्थित है। वादनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 आपस में भाई–बहिन है। प्रतिवादी संख्या 1 वादनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की माता है। आराजी मुत0 वादनी व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता भुरू प्रतिवादी नं0 1 के पति के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिसपर भुरू काबिज काश्त रहे और अपने जीवन काल तक आराजी मुत0 पर वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते रहे और पिता भुरू की मृत्यु के बाद आराजी पर वादनी एवं प्रतिवादीगण वाहिस्सा बराबर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है आराजी पहले वादनी व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण 2 लगायत 6 एवं प्रतिवादी नं0 1 के पति के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी आराजी मुत0 पर वादनी व प्रतिवादीगण 1/7–1/7 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है मुताबिक कानून पिता की मृत्यु के बाद उसके सभी वारिसान का बहिस्सा बराबर हिस्सा है। परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 बहुत की चालाक किस्म के व्यक्ति है और वादनी के हिस्से को हडपने के उद्देश्य से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश राजस्व कर्मचारियों से मिलकर दाखिल खारिज नम्बर 2292 से अपने नाम दर्ज करा लिया और वादनी को भुरू का वारिस नहीं बताया गया जो की खिलाफ कानून है। वादनी आराजी मुत0 में अपने आपको पिता भुरू के हिस्से की आराजी में 1/7 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने आराजी को झगडे में डालने के उद्देश्य से बिना कोई प्रतिफल लिये मात्र कागजी रूप से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आराजी मुत0 खसरा नम्बर 0.42 का सम्पूर्ण हिस्सा व 602 में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 7 बसकरी पत्नि कासम के हक में तहरीर व तस्दीक दिनांक 20/12/2010 को करा दिया जो खिलाफ कानून व बयनामा बमुकाबले वादनी वातिल व बेअसर है व प्रभावहीन व शून्य है। प्रतिवादीगण के मन में अब बदयान्ती आ गई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वादनी की आराजी को काश्त करने में व्यवधान करने व आराजी से वादनी को जबरदस्ती लठ्ठ व ताकत के बल पर बेदखल कर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी है। जिसकी पूर्ति में दिनांक 10/03/2014 को वादनी अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रही थी तो प्रतिवादीगण एकराय होकर आये वादनी को धमकी दी अब हम वादनी को आराजी पर काश्त करने नहीं देगे वादनी को उसके हिस्से से बेदखल करके रहेगे। जो इन्द्राज आराजी की बाबत प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे उसे कलमजन किया जाकर वादनी को आराजी के 1/7 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को 1/7 –1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 20/12/2010 को प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष मे किये गये वयनामा को प्रभावहीन व शून्य किया जावें।

दावा वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब इस आशय का पेश किया कि वादनी ने उक्त वाद गलत तथ्यों के आधार पर असल तथ्यों को छिपाते हुये पेश किया है जो कानूनन खारिज है। आराजी खसरा नम्बर 1180/0.42 , 642/0.25, 1422/0.61, 602/0.92 बांके ग्राम छपरा तहसील पहाडी भुरू के कब्जे काश्त खातेदारी का रकबा था जिसे अपने जीवनकाल में काश्त करता रहा और उसके मरने के बाद उसके वारिसान काश्त करते रहे। भुरू के दो लडका कुर्सीद व रजाक एवं तीन पुत्रीया सरियम, कुर्सीदन, वारिसा पैदा हुये भुरू के मरने के उपरान्त भुरू की तीनों पुत्रीयों ने

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

आराजी मुत0 से अपना हकत्याग अपनी माँ एवं दोनो भाईयों के पक्ष में हकत्याग कर दिया और आराजी का विरासत का दाखिल खारिज संख्या 2292 दिनांक 06/08/2010 को ग्राम पंचायत गंगोरा द्वारा पूर्ण जाँच करने के उपरान्त भुरू के वारिसान के नाम तस्दीक किया तथा आराजी पर मौके पर वारिसान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को घरेलु आवश्यकता हेतु पैसों की जरूरत थी इसलिए उन्होने प्रतिफल की पूर्ण राशि लेकर खसरा नम्बर 642/0.25 का सालिम रकबा एवं खसरा नम्बर 602/0.92 का निस्फ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 बसकरी के हक में दिनांक 20/12/2010 को वयनामा तहरीर कराकर तस्दीक करा दिया तथा मौके पर प्रतिवादी संख्या 7 को कब्जा सौंप दिया तभी से प्रतिवादी अपने खरीदशुदा रकबे पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही हैं और मौके पर आज भी कब्जा व काश्त है। वादनी को आराजी मुत0 से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का कभी नहीं रहा है और ना ही इस समय है वादनी हनीसा उर्फ अनीसा परताप पुत्र निहाला निवासी छपरा की पुत्री है यह मृत्तक भुरू की संतान नहीं है वादनी ने नामान्तकरण संख्या 2292 ग्राम पंचायत गंगोरा आदेश दिनांक 06/08/2010 के विरूद्ध एक अपील अदालत श्रीमान एसडीओ साहब पहाडी के यहां हनीसा बनाम ग्राम पंचायत गंगोरा वगैराह के खिलाफ आराजी मुत0 की बाबत प्रस्तुत की थी। उक्त अपील पर दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरान्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी द्वारा हनीसा को मृत्तक भुरू की वारिस नहीं मानते हुये दिनांक 15/10/2012 को अपील खारिज करदी गई तथा वादनी ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुये उक्त वाद पत्र नामान्तकरण संख्या 2292 को चलेन्ज करते हुये उक्त वाद पत्र पेश किया है। जो विधि विरूद्ध है तथा उक्त बिन्दु का निर्णय पूर्व में ही अदालत श्रीमानजी द्वारा निर्णित किया जा चुका हैं । जिस पर रैस ज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है और उक्त दावा खारिज किये जाने योग्य है। आराजी की बाबत राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राज की जानकारी वादनी को शुरू से ही थी इसलिए वादनी को आराजी की बाबत कोई विनाय मुखास्मत पैदा नहीं होते है। आराजी की बाबत एक अपील वादनी द्वारा मृत्तक भुरू की पुत्री बनकर आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी पहाडी के यहाँ आराजी को हडपने की गरज से पेश की थी तथा रजाक पुत्र भुरू , शेरमौहम्मद पुत्र परताप व हनीसा पत्नि साहू के विरूद्ध मुकदमा 420, 120 बी0 आई0पी0सी0 का दर्ज कराया था जो अदालत श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट कामाँ के यहाँ विचाराधीन है तथा उक्त आराजी की बाबत एक प्रकरण वादनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दर्ज कराया था जिसका मुकदमा नं0 201/11 थाना पहाडी दर्ज हुआ। जिसमें वादनी ने स्वयं अपने ब्यानों में हाजी परताप मेव निवासी छपरा की लडकी होना स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण से हाजी परताप एवं उसके लडके रंजिश रखते है जिसके कारण हाजी परताप ने अपनी पुत्री को मृत्तक भुरू की लडकी गलत रूप से

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

दर्शाते हुये वाद प्रस्तुत किया है तथा वादनी ने अपना गलत तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसके विरूद्ध पृथक से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। आराजी मुत0 की बाबत राजस्थान सरकार आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है इस आधार पर दावा वादनी काबिले खारिजी है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादनी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये दिनांक 12/06/2020 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। एकपक्षीय कार्यवाही अमल में होने के कारण प्रकरण में तनकी नहीं कराई गई।

वादनी द्वारा साक्ष्य वादनी पेश नहीं करने के कारण दिनांक 29/12/2021 को साक्ष्य वादनी बन्द किये गये।

बहस वकील वादनी सुनी गई। वकील वादनी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादनी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादनी द्वारा यह दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध मृतक भूरू के वारिसान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत किया है। वादनी ने दावे में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। वादनी ने मृतक भूरू के वारिस होने के संबंध में भी कोई भी दस्तावेज/पहचान पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। अपितु प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में आराजी के संबंध में नामान्तरण का वर्णन किया है। जिसमें यह स्पष्ट है कि विरासत का दाखिल खारिज संख्या 2292 दिनांक 06/08/2010 को ग्राम पंचायत गंगोरा द्वारा पूर्ण जाँच करने के उपरान्त भुरू के वारिसान के नाम तस्दीक किया है। उक्त नामान्तरण के विरूद्ध इस न्यायालय में एक अपील भी प्रस्तुत की गई थी। जिसे इस न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरान्त हनीसा को मृत्तक भुरू की वारिस नहीं मानते हुये दिनांक 15/10/2012 को अपील खारिज कर दी गई थी। अपील निस्तारण के पश्चात पुनः दावा लाना विधि विरूद्ध है। वादनी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रही है। ऐसी स्थिति में दावा वादनी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादनी साक्ष्य के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

डिगरी व मुकदमे इकतर्फा
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 19/2014
हनीसा उर्फ अनीसा पत्नि साहून पुत्री भुरु जाति मेव निवासी ग्राम छपरा तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम रायपुर तहसील सीकरी ।

वादनी

बनाम

1. जुम्मी पत्नि भुरू
2. खुर्शीद
3. रजाक पिसरान भुरू
4. खुर्शीदन
5. सरियम
6. वरिसा पुत्रीयान भुरू जाति मेव निवासी छपरा तहसील पहाडी
7. बसकारी पत्नि कासम जाति मेव निवासी ऊधन तहसील कामाँ

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादनी साक्ष्य के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/01/. सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा पहाडी (भरतपुर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वजह सबूत	1.00	
महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान	4.00	

मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान		

Scanned with CamScanner